

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, टोंक (राज.)

संख्या :- 362/2022

निर्णय दिनांक :- 28/8/2022

पत्रावली प्रार्थना पत्र :-

समवेत पुत्र जुवाना जाति बैरवा निवासी सतवाडा तहसील देवली जिला टोंक राज०

प्रार्थी पक्ष-

बनाम

तहसीलदार देवली जिला-टोंक (राज.)

उपस्थित :-

-अप्रार्थी पक्ष-

श्री बाबूलाल मीणा

अधिवक्ता प्रार्थीगण


तहसीलदार
देवली

प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी बाबत अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट
आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 218 ख०नं० 672/124 रकबा 0.86 है०, खसरा नम्बर 674/136 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 676/137 रकबा 0.15 है० व खसरा नम्बर 678/532 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम सतवाडा पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला-टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाशत की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है व पडोसी खातेदारो से सीमा विवाद है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार सीमा विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी सम्वत् 2073-76 में दर्ज आराजी खाता संख्या 218 ख०नं० 672/124 रकबा 0.86 है०, खसरा नम्बर 674/136 रकबा 0.04 है०, खसरा नम्बर 676/137 रकबा 0.15 है० व खसरा नम्बर 678/532 रकबा 0.46 है० वाके ग्राम सतवाडा की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु सम्बंधित तहसीलदार को मौका कमिश्नर बनाया जाता है और मौका कमिश्नर फीस 1000/- निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
देवली